लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांकः BRLPS/LSBA/BAH/HR/22/17/560 दिनांकः 28.12.17

प्रेषकः

श्री राजीव कुमार सिंह, बि0 प्र0 से0
प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त-सह- उपाध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
कैमूर (भभुआ)

विषयः- जिले से प्राप्त मोहनिया प्रखण्ड के Advice Reset करने के संबंध में।

प्रसंगः- 19/12/2017 को आयोजित VC के प्रसंग में

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संबध में सूचित करना है कि आपके जिले के मोहनिया प्रखण्ड से लाभार्थियों के भुगतान किये जाने के संबंध में आपका पत्रांक 51 दिनांक 13/12/2017 के अनुसार निम्नांकित Advice No/Advice Date को Reset किये जाने हेतु सूचित किया गया।

Advice No	Advice Date
MHY/2017/1731	17/01/2017
MHY/2017/1698	14/01/2017
MHY/2017/2753	09/02/2017
MHY/2017/2107	27/01/2017
MHY/2017/2108	27/01/2017
MHY/2017/1903	21/01/2017

उक्त के आलोक में स्पष्ट करना है कि - पूर्व में लाभार्थियों का भुगतान चेक के द्वारा किया जाता था, जिसकी प्रक्रिया में लाभार्थी की डाटा प्रविष्टि के उपरांत, लाभार्थियों का Print Advice निकालकर उसपर जांच कर्ता, लेखापाल और प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर किया जाता था। तदोपरांत संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के हस्ताक्षर से चेक काट कर Print Advice के साथ बैंक को भुगतान हेतु भेजा जाता था। जिसकी प्रति छायाप्रति प्रखण्ड कार्यालय में भी संधारित की जाती थी।

अवगत कराना चाहेंगें कि आपके द्वारा बैंक को भेजे गये Print Advice and Cheque के समय बैंक खाता में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण कुल 189 लाभार्थियों भुगतान किया जा चुका है और शेष 124 का भुगतान लंबित है।

स्पष्ट है कि माह जनवरी में 124 लंबित भुगतान हेतु संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं जिला समन्वयक द्वारा कोई कारवाई नहीं कि गयी। पुन: विदित हो कि पत्रांक BRLPS/LSBA/PFMS/03/16/124 दिनांक 30/06/2017 को राज्य स्तर से Advice Reset करने हेतु पत्र भेजा जा चुका है एवं लोहिया स्वच्छ बिहार के वेवसाइट पर भी अपलोड किया गया है। साथ ही इसकी सूचना सभी राज्य स्तरीय बैठकों उप विकास आयुक्त एवं जिला समन्वयक को दी गयी एवं राज्य स्तरीय जिला समन्वयक के Whatsup Group के माध्यम से लगातार Digital Signature के संबंध में निदेश दिये गये हैं।

लेकिन यह चिंतनीय है कि भुगतान जनवरी माह 2017 का है और अनुश्रवण दिसम्बर 2017 में किया जा रहा है। जिससे स्पष्ट है कि प्रखण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं जिला समन्वयक द्वारा अपने कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है।

पुन: Advice No- MHY/2017/1903 दिनांक 21/01/2017 को राज्य स्तर से 17 लाभार्थियों के मिलान कर Reset कर दिया गया है। शेष 107 लाभार्थियों का विवरण स्पष्ट नहीं होने के कारण Reset नहीं किया जा सका है। उक्त हेतु दिनांक 14/12/2017 को मेल (bdo.moh-km-bih@nic.in) के माध्यम से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहनिया से लाभार्थी के विवरण Excel Sheet में दिये जाने हेतु आग्रह भी किया गया है। जिसके आलोक में चौदह दिन बाद दिनांक 28/12/2017 को विवरण Excel Sheet में उपलब्ध कराया गया है। जिस पर अग्रेतर कारवाई की जा रही है, जिसे दिनांक 29/12/2017 तक Reset कर दिया जायेगा।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जिले में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एंव जिला समन्वयक द्वारा लाभार्थियों के भुगतान में लापरवाही एवं उदासीनता बरती गयी है। साथ ही जिला समन्वयक द्वारा जिला स्तर पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों का अनुश्रवण भी नहीं किया गया है।

अत: निदेशानुसार जिला समन्वयक, कैमूर के माह दिसम्बर के वेतन से 10 प्रतिशत की कटौति करना सुनिश्चित करें एंव प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मोहनिया के विरुद्ध अग्रेतर कारवाई हेतु ग्रामीण विकास विभाग को सूचित करने का कष्ट करें।

विश्वासभाजन

28/12/12

(राजीव कुमार सिंह)

प्रतिलिपि: जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि वे अपना स्पष्टीकरण सात दिनों के अंदर प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपको पदमुक्त किया जाये।

प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ प्रेषित।

28/12/12